

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 2472 / 2022

दिनांक : 18.08.2022

डॉ. नीलम सुलम जैन (RJ1193), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सपोटरा (करौली) को दिनांक 18.07.2022 से 20.07.2022 तक 03 दिनों का परावर्तित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

डॉ. जैन की अनुपस्थिति में अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सपोटरा (करौली) के पद पर ही की गई।

आज्ञा से
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)
18.08.2022

क्रमांक:—स्था.बी.2(4)/58/2017/5673

दिनांक : 18.08.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, करौली को उनके पत्रांक 5230 दिनांक 22.07.2022 के सन्दर्भ में ।
3. डॉ. नीलम सुलम जैन (RJ1193), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सपोटरा (करौली) ।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सपोटरा (करौली) ।
5. अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली ।

सहायक रजिस्ट्रार
18/8/22